मै0 वन विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा नदी सौंग–3, ग्राम–मारखम ग्रांट, तहसील–डोईवाला, जिला–देहरादून में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 12.07.2022 ग्राम–मारखम ग्रांट, तहसील एवं जिला–देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 वन विकास निगम लि0, देहरादून द्वारा नदी सौंग–3 (क्षेत्रफल–93.50 हैक्टेयर) में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून डा0 एस0के0 बरनवाल की अध्यक्षता में **ग्राम–मारखम ग्रांट, तहसील एवं जिला–देहरादून** लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 वन विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी सौंग–3 में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान उत्तराखंड संस्करण व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 11.06.2022 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिन्हें संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि आपके विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से

आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको कार्यवृत्त में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

तत्क्रम में मै0 वन विकास निगम के पर्यावरणीय परामर्श दाता संस्था मै0 मेन टेक कन्सलटेन्ट प्रा0 लि0 की प्रतिनिधि सुश्री अंजलि निगम द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 93.50 है0 है। जो कि **ग्राम–मारखम ग्रांट, तहसील–डोईवाला, जिला–देहरादून** में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा वन विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जोयगा। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि शासन द्वारा निर्धारित गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। सुश्री अंजलि द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री सौरभ, डोईवाला** द्वारा खनन किये जाने का समर्थन किया गया। श्री सौरभ द्वारा बताया गया कि खनन होने से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। खनन फलस्वरूप मलिन बस्तियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

2. **श्री भजन सिंह, ग्राम–धर्मू चक** द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये एवं धर्मू चक से डोईवाला तक खनन परिवहन करने वाले वाहनों से दिक्कत होती है। श्री सिंह द्वारा रोड को चौड़ा करने का सुझाव दिया गया।

3. **श्री मनोज प्रजापति, डोईवाला,** द्वारा खनन किये जाने पर खुशी जाहिर की गयी तथा श्री प्रजापति द्वारा कहा गया कि खनन से स्थानीय लोगों को लाभ होगा।

4. **श्री सुरेश सैनी, मारकम ग्रांट** द्वारा कहा गया कि खनन खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री सुरेश द्वारा यह भी कहा गया कि खनन कार्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिये।

5. **श्री नरेन्द्र सिंह थापा, डोईवाला** द्वारा अवगत कराया गया कि खनन खुलने से खनन सामग्री स्थानीय लोगों को कम दामों पर मिलेगी तथा अवैध खनन पर रोक लगेगी। खनन कार्य का समर्थन किया गया।

6. **श्री परमजीत सिंह, डोईवाला** द्वारा यह बताया गया कि डोईवाला क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि एवं खनन कार्यों पर निर्भर है। क्षेत्र में खनन होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

7. **श्री जसविंदर सिंह, डोईवाला** द्वारा बताया गया कि खनन से इस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा तथा खनन कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

8. **श्री गुरेन्द्र सिंह (पति क्षेत्र पंचायत सदस्य)** द्वारा अवगत कराया गया कि खनन खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें कि स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर, ट्रॉली प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

9. **श्री सुरेन्द्र सिंह, (पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य)** द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से डोईवाला तक का मार्ग सिंगल लेन है तथा जिस पर स्कूली छात्र–छात्राओं एवं स्थानीय लोगों का आवागमन है। अतः खनन कार्य शुरू होने से पूर्व सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाये। खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों हेतु नदी के सहारे वैकल्पिक रास्ता बनाया जाये।